



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122025-268347  
CG-DL-E-08122025-268347

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5496]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2025/अग्रहायण 17, 1947

No. 5496]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2025/AGRAHAYANA 17, 1947

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5684(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (घ) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उपधारा (1) की बाबत उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अभिकरण के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 01/01/2019-पीएम]

सोलोमन अरोकियाराज, अपर सचिव (वित्तीय बाजार प्रभाग)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2025

**S.O. 5684(E).**— In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby authorises the Securities and Exchange Board of India, as the authorised agency for the purposes of the said rules in respect of sub-section(1) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act,1992 (15 of 1992).

[F. No. 01/01/2019-PM]

SOLOMON AROKIARAJ, Addl. Secy. (Financial Market Division)